(71)

संख्या– 1164 /XV-2/01(26)/2006

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग– 02 देहरादून, दिनांक 12 अक्टूबर,, 2011:

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2011–12 में मत्स्य निदेशालय के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति (मत्स्य विभाग का सुदृढ़ीकरण) के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1315/म0वि0सुदृढिकरण/2011–12, दिनॉक 20–9–11 के संदर्भ में एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011,.दिनांक 31–3–2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में भोपालपानी, देहरादून में मत्स्य निदेशालय के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पूर्व में अनुमोदित कार्यो के अन्तर्गत बचे हुये कार्यो के सम्पादन हेतु ₹ 18.75 लाख (अठारह लाख पिचत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि केवल अनुमोदित कार्यक्षेत्र (Approved scope of work) में ही व्यय की जाय। यदि इसके अतिरिक्त कार्य बचत धनराशि से किये जाते है तो बचत का व्यौरा देते हुए अतिरिक्त प्रस्तावित कार्य (Additional works outside of approved scope of works) प्रारम्भ करने से पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि में से सर्वप्रथम पुराने कार्यो को पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त नये कार्य प्रारम्भ किये जायेगे।
3. काम कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृति नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
5. एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. कार्य कराने से पूर्व तकनीकी दृष्टि से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जाये तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाये तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न की जाये।

2/–

8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैसटिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पाई जाने की दशा में ही सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4405–मछली पालन पर पूँजीगत परिव्ययें–00–आयोजनागत–001–निदेशक तथा प्रशासन–03–मत्स्य विभाग के आवसीय एवं अनावसीय भवनों का निर्माणं–24–वृहद निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

3– यह आदेश, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011,.दिनांक 31–3–2011 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या : 1164 /XV-2/01(26)2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डालायुक्त, पौड़ी गढ़वाल।
3. निजी सचिव–पशुपालन मंत्री, को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
4. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
5. कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।